इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 नवम्बर 2016—कार्तिक 10, शक 1938

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2016

फा. 01-3-2017-वि.निर्वा.-275.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 23 / मध्यप्रदेश / 2016 दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को हिन्दी में सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 31 अक्टूबर, 2016—09 कार्तिक, 1938 (शक)

अधिसूचना

संख्या 23/मध्य प्रदेश/2016 :— यतः आयोग ने दिनांक 06 सितम्बर, 2016 के अपने पत्र संख्या 23/ECI/LET/TERR/WES 1-MP/2016/1592 के द्वारा दिनाक 01.01.2017 की अर्हक तिथि के सन्दर्भ में, मध्य प्रदेश राज्य के कुल 230 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 09 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (क्रमशः 84 – जयसिंहनगर (अ.ज.जा.), 85 – जैतपुर (अ.ज.जा.), 86 – कोतमा, 87 – अनूपपुर (अ.ज.जा.), 88 – पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.), 89 – बांधवगढ़ (अ.ज.जा.), 90 – मानपुर (अ.ज.जा.), 91 – बढ़वारा (अ.ज.जा.) तथा 179 – नेपानगर (अ.ज.जा.)) को छोड़कर शेष 221 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी; और

यतः मध्य प्रदेश में, उपरोक्त उल्लेखित 09 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर, दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत करने की समयावधि दिनांक 01 अक्तूबर, 2016 (शनिवार) से दिनांक 31 अक्तूबर, 2016 (सोमवार) तक नियत की गई थी; और

यतः मध्य प्रदेश राज्य में, उपरोक्त उल्लेखित 09 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर, शेष 221 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में, प्रारूप नामावलियां दिनांक 01 अक्तूबर, 2016 (शनिवार) को प्रकाशित कर दी गई थी; और

यतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश ने यह सूचित करते हुए कि अक्तूबर माह में दीवाली, मोहर्रम इत्यादि त्यौहार होने से सभी मतदाता दावे एवं आपतियां प्रस्तुत नहीं कर सके हैं तथा इस सम्बन्ध में राजनीतिक दलों ने भी दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की समयावधि बढ़ाने की मांग की है, दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत करने की समयावधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

अतः आयोग ने इस मामले पर विचार कर यह निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश राज्य में, उपरोक्त उल्लेखित 09 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर, शेष 221 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दावें और आपत्तियां प्रस्तुत करने की समयावधि को दिनांक 15 नवम्बर, 2016 तक बढ़ा दिया जाना चाहिए ।

अतः, अब, आयोग, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.01.2017 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, निर्वाचक नामावलियों के चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए, मध्य प्रदेश राज्य में कुल 230 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 09 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (क्रमशः 84 – जयसिंहनगर (अ.ज.जा.), 85 – जैतपुर (अ.ज.जा.), 86 – कोतमा, 87 – अनूपपुर (अ.ज.जा.), 88 – पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.), 89 – बांधवगढ़ (अ.ज.जा.), 90 – मानपुर (अ.ज.जा.), 91 – बढ़वारा (अ.ज.जा.) तथा 179 – नेपानगर (अ.ज.जा.)) को छोड़कर शेष 221 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दावें और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख को दिनांक 15 नवम्बर, 2016 (मंगलवार) तक विस्तारित करता है ।

आदेश से,

हस्ता./-
(अनुज जयपुरियार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.